कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

रेल्वे स्टेशन रोड, गुना (म.प्र.) 473001

E-mail : dfot.gun@mp.gov.in, Ph. 07542-259650

क्रमांक / व.नि.स. / वरिष्ठ–NGT-46 / 2023 / 6822 गुना दिनांक / 02.8.23

प्रति,

Consultant (Judicial)
माननीय राष्ट्रीय हरित विकास प्राधिकारण
P.B नई दिल्ली

विषयः– माननीय एन.जी.टी. में प्रचलित प्रकरण क्रमांक / 376 / 2022 अंकित शर्मा एवं अन्य विरूद्व मध्यप्रदेश राज्य शासन में पारित आदेश दिनांक 04.07.2023 के पालन में मौका स्थल का पुनः निरीक्षण किये जाने हेतु तिथि नियत किये जाने वावत्।

संदर्भः– माननीय एन.जी.टी. प्रमुख बेंच न्यू देहली द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2023

––––000––––

निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2023 के अनुपालन में पूर्व में गठित संयुक्त समिति द्वारा मौका स्थल का पुनः स्थल निरीक्षण कर 1 लगायत 5 बिन्दुओं के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत करने वावत् एक माह की समय सीमा निर्धारित की गई है।

उक्त संबंध में समिति के भ्रमण के पूर्व वन परिक्षेत्राधिकारी आरोन से मौका स्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। उनके प्रतिवेदन के अनुसार वन परिक्षेत्र आरोन अन्तर्गत बीट मिर्जापुर (ग) के वन कक्ष क्रमांक पी–155 में 65.68 हेक्टेयर रिंग आउट एरिया (राजस्व विभाग को हस्तारित क्षेत्र) एवं निजी भूमि शामिल है एवं इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग द्वारा पट्टे भी दिये गये हैं। इस कारण उक्त क्षेत्र में अतिक्रमण की सही स्थिति ज्ञात करने हेतु मौके पर निजी भूमि, हस्तांतरित क्षेत्र, पट्टे आदि की भूमि का राजस्व विभाग के साथ संयुक्त रूप से सर्वेक्षण, सीमांकन किया जाना आवश्यक है। इस हेतु वनमण्डल कार्यालय के पत्र क 6817 दिनांक 01.08.2023 से कलेक्टर जिला गुना को प्रश्नाधीन भूमि का संयुक्त सर्वे सीमांकन कराये जाने हेतु निवेदन किया गया। वर्तमान में बारिश का मौसम होने के कारण मौके पर सर्वे सीमांकन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

चूँकि प्रकरण में स्थल अनुसार बिन्दुवार उत्तर संयुक्त सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न होने के बाद ही दिया जाना संभव हो सकेगा। अतः अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में संयुक्त सीमांकन कराने हेतु दो माह की समय सीमा बढ़ाये जाने की कृपा करें।

संलग्नः– वन परिक्षेत्राधिकारी का प्रतिवेदन।

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

क्रमांक / व.नि.स. / वरिष्ठ–NGT-46 / 2023 / 6823 गुना दिनांक / 02.8.23

प्रतिलिपिः–

1. श्री हरेराम कुमार, तकनीकी अधिकारी (वानिकी), भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल (म.प्र.) की ओर कार्यालयीन पत्र क. / 6624 दिनांक 27.07.2023 अनुक्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक शिवपुरी वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. कलेक्टर जिला गुना की ओर कार्यालयीन पत्र पृष्ठांकन क. / 6625 दिनांक 27.07.2023 अनुक्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र आरोन की ओर सूचनार्थ।

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

E:\Steno\New Letter 2023.doc

कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र आरोन

E-Mail- rangearon@rediffmail.com, rotaron@mp.gov.in Ph.- 07545258618

क्रमांक / 1055   दिनांक 31/07/2023

प्रति,

श्रीमान् वन मण्डलाधिकारी महोदय,
सामान्य वन मण्डल गुना (म.प्र.)

विषय :— माननीय एन.जी.टी. में प्रचलित प्रकरण क्रमांक / 376 / 2022 / अंकित शर्मा एवं अन्य के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य शासन में पारित आदेश दिनांक 04.07.2023 के पालन के संबंध में।

संदर्भ :— आपका पत्र क्रमांक / व.नि.स. / वरिष्ठ—एन.जी.टी.—46 / 2023 / 6721 / दिनांक 28.07.2023

— 000 —

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विषयांकित आदेश के बिन्दु क्रमांक 04 के पालन में वन परिक्षेत्र आरोन अंतर्गत सवरेंज वरखेड़ाहाट की बीट मिर्जापुर (ब) के कक्ष क्रमांक पी 155 के वन स्टॉफ से कराये गये निरीक्षण एवं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर बिन्दुबार जानकारी निम्नानुसार है —

I. वन परिक्षेत्र आरोन अंतर्गत सवरेंज वरखेड़ाहाट की बीट मिर्जापुर (ब) के कक्ष क्रमांक पी 155 में अतिक्रमण पाया गया है।

कक्ष क्रमांक पी 155 का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 576.710 हेक्टेयर है जिसमें वन मण्डल की प्रचलित कार्य आयोजना (अवधि वर्ष 2016—17 से 2025—26) के अनुसार VB श्रेणी का युवा आयु वर्ग का सागौन युक्त प्राकृतिक वन है जिसका संनिधि (Stock) औसत घनत्व 0.2 है। कक्ष क्रमांक पी 155 में संनिधि मानत्रिण के अनुसार US2 (Under Stocked area with root Stock) 216.95 हेक्टेयर क्षेत्रफल में तथा BL2 (Blank Area with root stock) 187.34 हेक्टेयर क्षेत्रफल में तथा शेष क्षेत्र में अतिक्रमण के रूप में दर्ज है, कार्य आयोजना में अतिक्रमण के रूप में दर्ज क्षेत्र में 65.688 हेक्टेयर क्षेत्र रिंग आउट एरिया (ROA) एवं निजी भूमियां अथवा राजस्व पट्टे भी शामिल है। (संलग्नक क्रमांक 1 एवं 2)

II. कक्ष क्रमांक पी 155 में पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरणों के आधार पर 57.840 हेक्टेयर (276.47 बीघा) क्षेत्र में अतिक्रमण दर्ज है, जिसकी सूची संलग्न है। परन्तु कक्ष में उक्त के अलावा अन्य क्षेत्र में भी स्थानीय निवासियों द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। जिसके संबंध में संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रश्नाधीन भूमि निजी अथवा पट्टे की भूमि होना बताया जाता है। कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार भी उक्त कक्ष में बिन्दु क्र. 1 में उल्लेखित अनुसार 65.688 हेक्टेयर क्षेत्र रिंग आउट एरिया (ROA) एवं निजी भूमियां अथवा राजस्व पट्टे भी शामिल है। इस कारण उक्त क्षेत्र में अतिक्रमण की सही स्थिति ज्ञात करने हेतु मौके पर निजी भूमि, हस्तांतरित क्षेत्र, पट्टे आदि की भूमि का राजस्व विभाग के साथ संयुक्त रूप से सर्वेक्षण, सीमांकन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तदोपरांत ही वास्तविक अतिक्रमण का क्षेत्र एवं अतिक्रमणकारियों की सूची तैयार किया जाना संभव हो सकेगा। संयुक्त सीमांकन हेतु परिक्षेत्र स्तर से संबंधित तहसीलदार को लेख किया जा रहा है। कृपया प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान भी अपने स्तर से कलेक्टर महोदय को लेख करने का कष्ट करें।

III. वन भूमि पर खड़े वृक्षों की शत प्रतिशत गणना न की जाकर कार्य आयोजना निर्माण के समय ही सेम्पल प्लाट डालकर प्रति हेक्टेयर के आधार पर वृक्षों का आंकलन किया जाता है, वन मण्डल की प्रचलित कार्य आयोजना (अवधि वर्ष 2016—17 से 2025—26) के अनुसार वन परिक्षेत्र आरोन अंतर्गत सवरेंज वरखेड़ाहाट की बीट मिर्जापुर (ब) के कक्ष क्रमांक पी 155 में प्रति हेक्टेयर वृक्ष संख्या 176.61 पाई गई थी। उक्तानुसार वृक्षों की संख्या का आंकलन प्रतिवर्ष भी नहीं किया जाता है। वर्तमान में वृक्षों

की संख्या का आंकलन किये जाने हेतु विस्तृत वन संसाधन सर्वेक्षण की आवश्यकता होगी जो कि बारिश के मौसम के कारण नहीं किया जा सका है।

IV. कक्ष क्रमांक पी 155 में पिछले 10 वर्षो के दौरान कुल 216 सागौन एवं सतरूखा प्रजाति के वृक्ष कटे पाये गये है जिनका वन अपराध प्रकरण समय–समय पर दर्ज किया गया है। (संलग्नक क्रमांक 04)

V. कक्ष क्रमांक पी 155 में दर्ज अतिक्रमण काफी पुराना है। अतिक्रमण बेदखली हेतु संलग्न सूची क्र 01 के कॉलम 09 से 12 में दर्शाये अनुसार अतिक्रामकों को धारा 80 (अ) के नोटिस एवं बेदखली आदेश जारी किये गये हैं, चूंकि उक्त अतिक्रामक पूर्व से काबिज होकर खेती कर रहे है, तथा दबंग एवं झगड़ालू प्रवृत्ति के होने से इन्हें बेदखल करने में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुये, पुलिस प्रशासन के सहयोग से टास्कफोर्स के माध्यम से बेदखल किये जाने हेतु टास्कफोर्स में रखा जाना प्रस्तावित किया गया है ताकि अतिक्रमण बेदखली के समय विवाद की स्थिति निर्मित न हो। बेदखली के पूर्व कक्ष में निजी भूमि, हस्तांतरित क्षेत्र, पट्टे आदि की भूमि का राजस्व विभाग के साथ संयुक्त रूप से सर्वेक्षण, सीमांकन किया जाना आवश्यक है।

माननीय एन.जी.टी. में प्रचलित संदर्भित प्रकरण क्रमांक 376/2022 जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिऐ गये प्रकरणों सुरेश पुत्र मांगीलाल अहिरवार निवासी सांकरा (पी.ओ.आर. नं. 110/27 दि. 19.08.2021) एवं रामभान पत्र रघुवीर यादव निवासी लढ़या (पी.ओ.आर. नं. 110/21 दि. 06.03.2021) में अतिक्रमित वन भूमि क्रमशः 1¼ बीघा एवं 1.440 हेक्टेयर को दिनांक 14.03.2023 को कार्यवाही कर बेदखल किया गया था।

अतः प्रतिवेदन श्रीमान् जी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न :–

1. कक्ष क्रमांक पी 155 के कक्ष इतिहास के पृष्ठ क्रमांक 6 से 10 तक की छायाप्रति
2. कक्ष क्रमांक पी 155 का मानचित्र की छायाप्रति
3. कक्ष क्रमांक पी 155 में अतिक्रामक एवं अतिक्रमण की प्रकरण बार सूची
4. कक्ष क्रमांक पी 155 में अवैध कटाई के पिछले 10 वर्षों के प्रकरणों की सूची

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र आरोन

37.9 घांस प्रजातियां

37.9.1 चारे योग्य	गनैया, लम्पी, मछोरी, जरगा
37.9.1 अखाद्य	लखेरा
38 घांस उपलब्धता	कम
39 लेंटाना/खरपतवार प्रकोप	नगण्य
39.1 विस्तार	नगण्य
39.2 घनत्व	नगण्य
40 जड़ भण्डार उपलब्धता (पुर्नउत्पादन)	अपर्याप्त
41 वनों का प्रकार	साग़ौन/मिश्रित
42 आयु वर्ग	मुख्यतः युवा आयु
43 उपज क्षमता	मध्यम

44 सस्य की स्थिति एवं स्थल (Location) दर्शाते हुए व्याख्यात्मक एवं विस्तृत विवरण (Explanatory &Detailed Description)

कक्ष में Vb श्रेणी का युवा आयु वर्ग का सागौनयुक्त प्राकृतिक वन है। जिसका घनत्व 0.2 से 0.3 है। क्षेत्र में सन्निधि का औसत घनत्व 0.2 है। कक्ष में सन्निधि टुकड़ों में फैली है। जैविक दबाव अधिक है। कक्ष में शीर्षस्तरीय प्रजाति महुआ, गुर्जन, तेन्दू आदि है। अधःस्तरीय पलाश, खैर, बेल, धावड़ा, अमलतास आदि प्रजातियां है। अधोस्तरीय घोंट, मकोय, कांकेर आदि प्रजातियां क्षेत्र में पाई जाती है। लेण्टना का प्रकोप नहीं है। तेंदू, खैर, पलास, कुरेंठा, दूधी प्रजातियों का पुनरूत्पादन 60 प्रतिशत क्षेत्र में है। जो टुकड़ों में है। तेन्दू, सागौन आदि प्रजातियों का पुनरोत्पादन स्थापित है तथा पलाश, कुरेंठा, दूधी का अस्थापित है। पुनरूत्पादन मुख्यतः कॉपिस से है। कहीं–कहीं बीज से भी खैर व धावड़ा का पुनरोत्पादन जो टुकड़ों में है। कक्ष में खैर, सागौन, पलास, तेंदू, दूधी, धावड़ा का जड़ भण्डार टुकड़ों में है। सन्निधि की बढ़त सामान्य हैं। क्षेत्र में अधिकतर 30 सेमी. से 50 सेमी. तक की गोलाई के वृक्ष है। न्यूनतम 12 सेमी. से अधिकतम 110 सेमी. है। औसत ऊंचाई 4.0 मी. है। सागौन प्रजाति की बढ़त सबसे अधिक है। पलाश प्रजाति की बढ़त सबसे कम है। पलाश प्रजाति की मोटाई सबसे अधिक है। दूधी प्रजाति की मोटाई सबसे कम है।

कक्ष में पूर्वी सीमा पर अतिक्रमण बड़ा है एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में भी अतिक्रमण बड़ा है। कक्ष के उत्तर में सागौन वन है एवं मध्य में Mix forest BL2 Type का है। कक्ष के मध्य में BL2 श्रेणी का वन है।

कक्ष के उत्तरी–पूर्व क्षेत्र एवं कक्ष के पूर्वी क्षेत्र के किनारे से दक्षिणी क्षेत्र में पश्चिम नीचे के किनारे अतिकमण है । कक्ष के पश्चिमी उत्तरी किनारे पर भी अतिकमण है।

नोट :कक्ष इतिहास की कंडिकाओं को लिखने के लिये सुझाव एवं मार्गदर्शिका की सहायता लिया जाना वांछनीय है।

भाग–5 संनिधि मानचित्रण के परिणाम (पृष्ठ 8)

45.1 वृक्ष प्रजातियां

कमांक	संनिधि का घनत्व	वन प्रकार मुख्य प्रजाति	स्थल गुणवत्ता	आयु	क्षेत्रफल
1	BL2				129.07
2	ENCR				19.76
3	BL2				58.27
4	ENCR				1.77
5	ENCR				144.61
6	ENCR				2.70
7	US2	T	Y	VB	134.31
8	US2	M	Y	VB	15.09
9	ENCR				3.58
10	US2	M	Y	VB	67.55
				योग	**576.71**

45.2 बांस (आतिच्छादी) क्षेत्र

अनु क्रं.	घनत्व	स्थल गुणवत्ता	क्षेत्रफल
1	–	–	–
2			
3			
4			
5			
		योग	

भाग – 6 विगत वन प्रबन्ध का संक्षिप्त विवरण (पृष्ठ 8 एवं 9)

46 प्रबंध वृत्त (वर्किंग सर्कि[illegible]	[illegible]स्थापना प्रबंधन वृत्त
47 पातन श्रेणी (फेलिंग सीरिज)	[illegible]जतपुर

48 कूप विवरण

क्रं.	कूप क्रमांक	प्रकार	डॅयू वर्ष	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	किये गये कार्य का विवरण		
					वर्ष	कार्य विवरण	मात्रा
1	I	RDF	2005-06	62.400	2005-06	वृक्ष कटाई कार्य	10921
2	II	RDF	2006-07	72.800	2006-07	वृक्ष कटाई कार्य	8135
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2007-08	55.000	2007-08	वृक्ष कटाई कार्य	11850
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]08-09	62.400	2008-09	वृक्ष कटाई कार्य	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]0	75.400	2009-10	वृक्ष कटाई कार्य	5947
6	VI	RDF	[illegible]10-11	62.400	2010-11	वृक्ष कटाई कार्य	5070
7	VII	RDF	2011-12	70.200	2011-12	वृक्ष कटाई कार्य	771
8	VIII	RDF	2012-13	37.930	2012-13	वृक्ष कटाई कार्य	544
9							
10							

49 पूर्व कार्य आयोजना अवधि में वृक्षारोपण/उपचारों का विवरण

क्रं.	भूमि तैयारी का वर्ष	योजना	उपचार का प्रकार	क्षेत्रफल	रोपण वर्ष	रोपण का विवरण		
						रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों का अनुमानित प्रतिशत	रोपण की वर्तमान स्थिति
1		का.आ. का क्रिया.(मिश्रित वृक्षारोपण) चेनलिंक		10.000	2013-14	25000		
2			RDF	25	2013	24600	85	सफल

नोट :कक्ष इतिहास की कंडिकाओं को लिखने के लिये सुझाव एवं मार्गदर्शिका की सहायता लिया जाना वांछनीय है।

भाग – 8 भविष्य के वन प्रबंध का संक्षिप्त विवरण (पृष्ठ 10)

53 वन प्रबंध वृत्त	पुनर्स्थापना कार्यवृत्त	54. पातन श्रेणी	मिर्जापुर बी

55 कूप विवरण

अनु. क्रं.	कूप क्रमांक	प्रकार	ड्यू वर्ष	संनिधि का संक्षिप्त विवरण (क्षेत्रफल हेक्टर में)					30% से अधिक ढलान का क्षेत्रफल
				सघन वन	विरला वन	रिक्त वन	अन्य वन·	योग	
1	II	RWC	2017-2018	0	67.11	20.62	0	87.74	
2	III	RWC	2018-2019	0	32.3	42.77	0.49	75.57	
3	IV	RWC	2019-2020	0	50.1	6.85	25.54	82.47	
4	V	RWC	2020-2021	0	34.08	31.4	0	65.48	
5	VI	RWC	2021-2022	0	17.72	27.43	18.96	64.12	
6	VII	RWC	2022-2023	0	0	47.24	47.92	95.16	
7	VIII	RWC	2023-2024	0	15.67	11.02	79.47	106.16	
8									
9									
10									
			योग					576.71	

56 वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता (क्षेत्रफल)

BL 1,Area………………ha

Us 1 Area………………ha

अनु.	वृक्षारोपण प्रकार	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	सागौन		
2	बांस		
3	जलाऊ रोपण		
4	औषधी रोपण		
5	अन्य रोपण		
6	सिंचित / असिंचित		

57 संयुक्त वन प्रबंध संबंधी टीप :

कक्ष में ग्राम वन समिति लठ्या एवं कुमरया है जो सक्रिय है।

58 अन्य विवरण

कक्ष के दक्षिण भाग में संकरा ग्राम स्थित है तथा पश्चिमी भाग में कुमरया, खैराई और लठ्या ग्राम स्थित है।

संनिधि मानचित्रकर्ता

नाम	श्री विजय सिंह नरवरिया	शिविर	आरोन
पद	वनक्षेत्रपाल		
दिनांक (प्रथम लेखन)	जनवरी 2014	दिनांक (अंतिम लेखन)	

वन क्षेत्रपाल
कार्य आयोजना इकाई, शिवपुरी

वन संरक्षक
कार्य आयोजना इकाई शिवपुरी

Prepared at - CCF (WP) Indore - Date- 10-9-2005

नोट :कक्ष इतिहास की कंडिकाओं को लिखने के लिये सुझाव एवं मार्गदर्शिका की सहायता लिया जाना वांछनीय है।

50 विगत वन प्रबंध का प्रभाव

विगत प्रबंधन में यह कक्ष पुनर्स्थापना उपचार हेतु प्रस्तावित था परन्तु कार्य आयोजना अवधि में इस कक्ष में वर्ष 2005–06 से 2012–13 तक 498.53 हे. में बिगडें वनों के सुधार हेतु वृक्ष कटाई कार्य किया गया। जो संतोषजनक है तथा वर्ष 2013–14 में (मिश्रित वृक्षारोपण) चेनलिंक के अंतर्गत 10.00 हे. में कार्य किया गया।

वर्तमान में भी यह कक्ष पुनर्स्थापना कार्यवृत्त में रखा गया है।

भाग – 7 – वन संसाधन सर्वेक्षण प्लाट का क्षेत्रफल (पृष्ठ 9)

51 वृक्षों का विवरण

ग्रिड क्रमांक	अक्षांश	देशांश	सर्वे दिनांक	वृक्षों का विवरण (प्रति हे.)		
				मुख्य प्रजाति	संख्या	आयतन (घ.मी.)
474				निरंक	0	0.000
475						
476						
योग						

52 पुनरूत्पादन विवरण :–

ग्रिड क्रमांक	पुनरूत्पादन प्रकार		पुनरूत्पादन संख्या				
			काष्ठ प्रजाति	फलदार प्रजाति	औषधि प्रजाति	अन्य प्रजाति	योग
474	पौध						0
475	अस्थापित						0
476	स्थापित						0
	कुल स्थापित						0

नोट :कक्ष इतिहास की कंडिकाओं को लिखने के लिये सुझाव एवं मार्गदर्शिका की सहायता लिया जाना वांछनीय है।

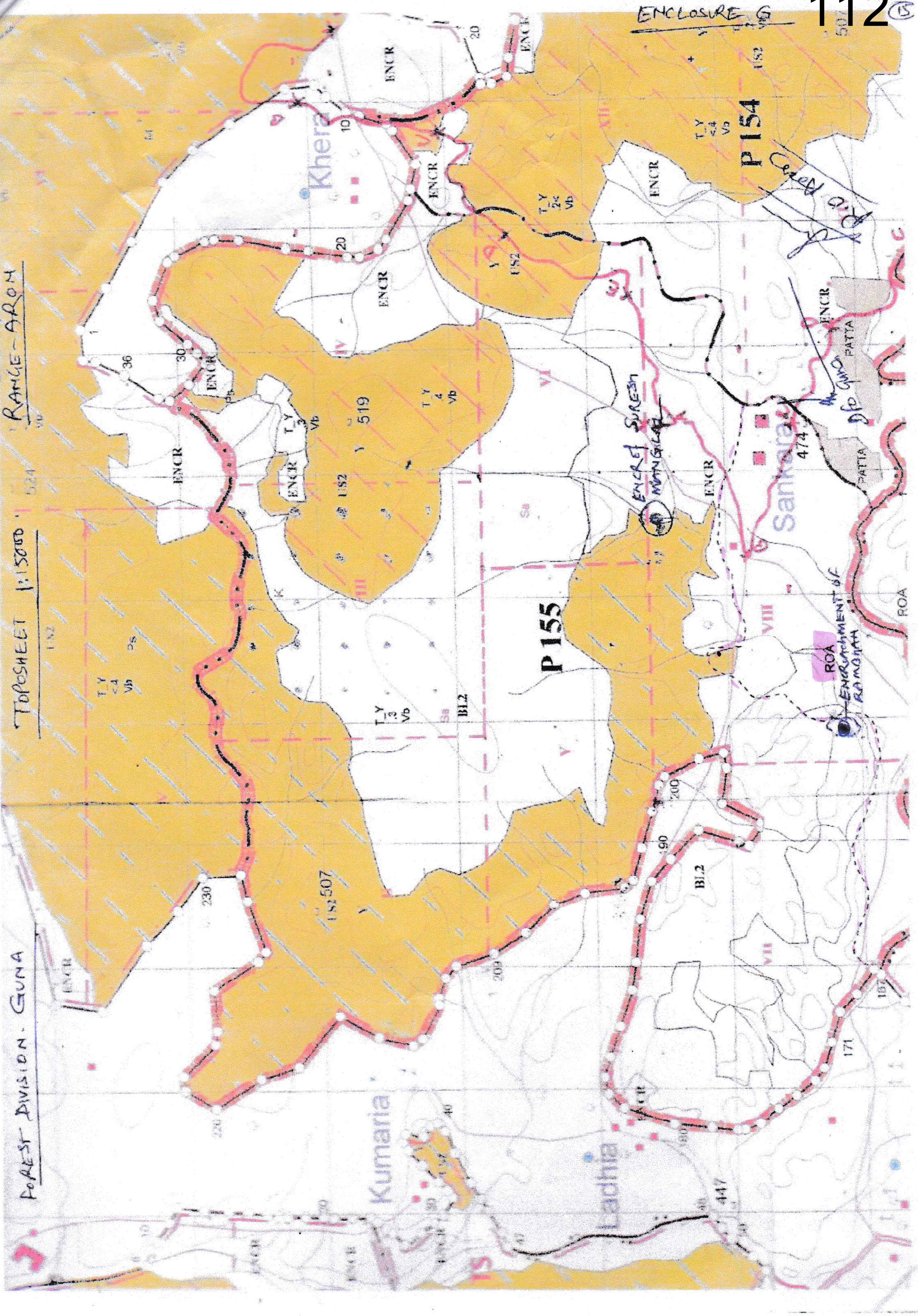
ENCLOSURE G
FOREST DIVISION GUNA
TOPOSHEET 1:15000
RANGE-ARON
P 155
P 154
Khera
Kumaria
Ladhia
ENCR
PATTA
ROA
ENCROACHMENT OF RAMSINGH
ENCR. of SURESH MANGILAL

संलग्नक 3

113

वन परिक्षेत्र आरोन अंतर्गत बीट मिर्जापुर (अ) के कक्ष क्रमांक पी 155 (पुराना कक्ष क्रमांक पी 1454) में अतिक्रमण की पी.ओ.आर. प्रकरण बार जानकारी

अ.क्र.		अतिकामक का नाम	पिता का नाम	निवासी	जाति	अतिकमित भूमि का क्षेत्रफल हे.में	पी.ओ.आर. का क्रमांक	पी.ओ.आर. का दिनांक	धारा 80 'अ' के नोटिस का क्रमांक	धारा 80 'अ' के नोटिस का दिनांक	वेदखली आदेश का क्रमांक	वेदखली आदेश का दिनांक
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	माखनसिंह	भगवतसिंह यादव	खैराई	OBC							
	2	प्रीतमसिंह	भगवतसिंह यादव	खैराई	OBC							
	3	भैयालाल	कन्हैयालाल यादव	खैराई	OBC							
	4	रतीराम	कन्हैयालाल यादव	खैराई	OBC							
	5	हरनामसिंह	छोगीलाल यादव	खैराई	OBC							
	6	गोपाल	छोगीलाल यादव	खैराई	OBC							
	7	मेहरवानसिंह	छोगीलाल यादव	खैराई	OBC							
	8	भुजबलसिंह	कन्हैयालाल यादव	खैराई	OBC							
	9	फेरनसिंह	कन्हैयालाल यादव	खैराई	OBC							
	10	कैलाश	हरनाम यादव	खैराई	OBC							
1	11	सागरसिंह	मेहरवान यादव	खैराई	OBC	21.527	91/25	28-07-2004	2427	19-01-2005	A1485	31-12-2005
	12	महेन्द्रसिंह	नथनसिंह यादव	खैराई	OBC							
	13	उदयमानसिंह	किशनसिंह यादव	खैराई	OBC							
	14	हीरालाल	भवरलाल यादव	खैराई	OBC							
	15	राजाराम	प्रतापसिंह यादव	खैराई	OBC							
	16	किशनसिंह	प्रतापसिंह यादव	खैराई	OBC							
	17	नारायणसिंह	प्रतापसिंह यादव	खैराई	OBC							
	18	मनीराम	भगवानसिंह यादव	खैराई	OBC							
	19	जयमंडलसिंह	गजराज यादव	खैराई	OBC							
	20	बृजभानसिंह	दिमानसिंह यादव	खैराई	OBC							
	21	तीरथसिंह	लक्ष्मणसिंह यादव	खैराई	OBC							
	1	बाबूलाल	सरदारसिंह यादव	लठया	OBC							
	2	धीरजसिंह	फूलसिंह यादव	लठया	OBC							
	3	रामसिंह	फूलसिंह यादव	लठया	OBC							
	4	गोपालसिंह	फूलसिंह यादव	लठया	OBC							
	5	जसमतसिंह	रणधीरसिंह यादव	लठया	OBC							
	6	रमेश	जसमतसिंह यादव	लठया	OBC							
	7	केरसिंह	रणधीरसिंह यादव	लठया	OBC							
	8	जीवनसिंह	दिमानसिंह यादव	लठया	OBC							
	9	अमोलसिंह	तोरणसिंह यादव	लठया	OBC							
	10	राजनसिंह	गजराजसिंह यादव	लठया	OBC							
	11	लक्ष्मणसिंह	कमलसिंह यादव	लठया	OBC							
2	12	जोलसिंह	तोरणसिंह यादव	लठया	OBC	27.305	102/1	28-07-2004	2421	19-01-2005	A1490	31-12-2005
	13	अजबसिंह	भुजबलसिंह यादव	लठया	OBC							
	14	करणसिंह	जोतसिंह यादव	लठया	OBC							
	15	लक्ष्मणसिंह	समतसिंह यादव	लठया	OBC							
	16	सुमेरसिंह	कोकसिंह यादव	लठया	OBC							
	17	आल्हा	दिमानसिंह यादव	लठया	OBC							
	18	जगदीश	जोतसिंह यादव	लठया	OBC							
	19	भैयालाल	बाबूलाल यादव	लठया	OBC							
	20	बृजभानसिंह	जमना यादव	लठया	OBC							
	21	बलवीरसिंह	केवल यादव	लठया	OBC							
	22	राजन	जमना यादव	लठया	OBC							
	23	कोमल	तोरणसिंह यादव	लठया	OBC							
	24	घूमन	तोरणसिंह यादव	लठया	OBC							
	1	गजेन्द्र	कमरलाल	कुमरया	OBC							
3	2	प्रीतम	कमरलाल	कुमरया	OBC	2.508	99/22	29.07.2012	-	-	-	-
	3	मंगल	कमरलाल	कुमरया	OBC							
	4	केबल	कमरलाल	कुमरया	OBC							
4	1	रामभान	रघुवीर	लठया	OBC	1.000	111/02	05.07.2023	-	-	-	-
	2	राजपाल	कल्याण	लठया	OBC							
	1	राजू	हजारी	सांकरा	SC							
	2	मनोज	हजारी	सांकरा	SC							
5	3	दिनेश	हजारी	सांकरा	SC	2.500	111/04	28.07.2023	-	-	-	-
	4	विष्णु	हजारी	सांकरा	SC							
	5	संतोष	परसूराम	सांकरा	SC							
6	1	हरिसिंह	रतनलाल	सांकरा	OBC	3.000	111/06	28.07.2023	-	-	-	-
	2	जगदीश	भामा	सांकरा	OBC							
योग		-	-	-	-	57.840	-	-	-	-	-	-

बीट मिर्जापुर (ब) के कक्ष क्रमांक पी 155 में अवैध कटाई प्रकरणों की पिछले 10 वर्षों की सूची

क्र.	बीट का नाम	कक्ष क्रमांक	अपराधी का नाम	वन अपराध प्रकरण क्रमांक/दिनांक	ठूठों की संख्या	प्राप्त काष्ठ	प्रकरण की वर्तमान स्थिति
1	2	3	5	4	5	6	7
1	मिर्जापुर (ब)	पी 155	–	3732/16, 26.07.2013	22	1 जलाऊ चट्ठा	खारिज
2	मिर्जापुर (ब)	पी 155	–	13/04, 12.08.2014	17	1 जलाऊ चट्ठा	खारिज
3	मिर्जापुर (ब)	पी 155	–	13/13, 30.04.2015	20	1 जलाऊ चट्ठा	खारिज
4	मिर्जापुर (ब)	पी 155	–	13/18, 11.08.2015	17	2 जलाऊ चट्ठा	खारिज
5	मिर्जापुर (ब)	पी 155	–	13/30, 19.05.2016	13	1 जलाऊ चट्ठा	खारिज
6	मिर्जापुर (ब)	पी 155	–	13/41, 26.10.2017	9	1/2 जलाऊ चट्ठा	खारिज
7	मिर्जापुर (ब)	पी 153, 154, 155	–	110/06, 27.05.2019	10	1/2 जलाऊ चट्ठा	खारिज
8	मिर्जापुर (ब)	पी 148, 155	–	925/26, 16.10.2019	20	साग. 20 नग = 0.208 घ.मी.	खारिज
9	मिर्जापुर (ब)	पी 154, 155	–	110/14, 29.05.2020	5	साग. 05 नग = 0.050 घ.मी.	खारिज
10	मिर्जापुर (ब)	पी 155	–	110/18, 29.09.2020	5	साग. 05 नग = 0.070 घ.मी.	खारिज
11	मिर्जापुर (ब)	पी 155	सुरेश पुत्र मांगीलाल अहिरवार	110/27, 19.08.2021	11	निरंक	आरोपी से ठूठों एवं अर्थदण्ड की राशि 12140.00 रूपये की बसूली कर प्रकरण कम्पाऊण्ड
12	मिर्जापुर (ब)	पी 155	–	110/32, 26.01.2022	21	साग. 19 नग = 0.280 घ.मी. एवं 1 जलाऊ चट्ठा	खारिज
13	मिर्जापुर (ब)	पी 155	–	110/33, 28.01.2022	22	साग. 22 नग = 0.310 घ.मी. एवं 1 जलाऊ चट्ठा	खारिज
14	मिर्जापुर (ब)	पी 155	–	110/36, 26.04.2022	6	साग. 06 नग = 0.080 घ.मी.	प्रकरण खारिजी हेतु कार्या. उप वन मंडल भेजा गया।
15	मिर्जापुर (ब)	पी 155	–	110/40, 06.08.2022	10	साग. 06 नग = 0.067 घ.मी. 1/2 जलाऊ चट्ठा	खारिज
16	मिर्जापुर (ब)	पी 155	–	111/05, 28.07.2023	8	साग. 06 नग बल्ली	–
	योग –	–	–	–	216	–	–

D:\NGT\NGT Prakran